



SSC GK

PARMAR'S GK BATCH

TOPIC

Prime Minister & Council of Ministers

Lecture :- 7

✓ **For Notes Join Telegram :**



Click on the icon.

OR
Scan



✓ **For Lectures Subscribe Our Parmar SSC Youtube Channel**



Click on the icon.

OR
Scan



अनुच्छेद 73 :



संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार /



अनुच्छेद 74 :

मंत्रीपरिषद का उल्लेख /

1. राष्ट्रपति मंत्रीपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा /



अनु० - 352(3)

↓
कैबिनेट

44 वां संविधान संशोधन

राष्ट्रपति मंत्रीपरिषद की सलाह को एक बार लौटा सकता है लेकिन मंत्रीपरिषद द्वारा दोबारा मंजूर होने पर राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा / (44 वां संविधान संशोधन)

अनुच्छेद 75 :

1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एवं अन्य मंत्री भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

प्रधानमंत्री { जी लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो /
किसी पार्टी को बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति उस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा लेकिन उसे 1 महीने के अंदर सदन में बहुमत पाना होगा /



75.1(A): मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।

(91 वां संविधान संशोधन)

75.1(B): किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी भी सदन का सदस्य, जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निर्दिष्ट है, अपनी निर्दला की तारीख से पारंप्र होने वाली और उस तारीख तक जिसको उसी सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहाँ वह उसी अवधि के समाप्ति के पूर्व संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, की अवधि के दौरान, खंड (1) के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी निर्दिष्ट होगा। (दलबदल)
(अयोग्य)

75(2): मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते हैं।

75(3): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

75(4): शपथ → राष्ट्रपति

75(5): मंत्री, जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, को किसी भी सदन की सदस्यता 6 महीने के अंदर लेनी होगी।

→ PM दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है।

इंदिरा गांधी
HD देवगौड़ा
मनमोहन सिंह

राज्यसभा के सदस्य

↓
सदन का नेता

(Leader of House)

75(6): वेतन और भत्ते



अनुच्छेद 77: मंत्रियों के मध्य कार्य का बँटवारा राष्ट्रपति करेंगी।
मंत्रिपरिषद के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगी।

अनुच्छेद 78: राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा करता है कि वह मंत्रीपरिषद से संबंधित घस्तानों की सूची / सूचना राष्ट्रपति को दे।
“pm is the linchpin of govt.” → नेहरू

मंत्रीपरिषद — प्रधानमंत्री — राष्ट्रपति

(भाग-5)

(भाग-6)

संबंध कार्यकारिणी

राज्य कार्यकारिणी

राष्ट्रपति

गवर्नर (राज्यपाल)

प्रधानमंत्री

मुख्यमंत्री

मंत्रीपरिषद

मंत्रीपरिषद

महान्यायवादी

महाधिवक्ता

उपराष्ट्रपति

x

समकक्ष: अनुच्छेद 74 = अनुच्छेद 163

अनुच्छेद 75 = अनुच्छेद 164

अनुच्छेद 76 = अनुच्छेद 165

→ लोकसभा में न्यूनतम सदस्य की सीमा नहीं है लेकिन विधानसभा में न्यूनतम 12 मंत्री होने चाहिए।

अनुच्छेद 77 = अनुच्छेद 166

अनुच्छेद 78 = 167



अनुच्छेद 52 → अनुच्छेद 153 → प्रत्येक राज्य में राज्यपाल

अनुच्छेद 53 → अनु० 154 → समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्ति

अनुच्छेद 54 } अनु० 155 → राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति
अनुच्छेद 55 } राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण

अनुच्छेद 56 → अनु० 156 → राज्यपाल का कार्यकाल

अनुच्छेद 58 → अनु० 157 → राज्यपाल की योग्यता
भारत का नागरिक /
35 वर्ष की आयु पूर्ण /

→ कोई भी राज्यपाल, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। (7वां संविधान संशोधन 1956)

अनुच्छेद 59 → अनु० 158 → राज्यपाल के पद हेतु शर्तें।

अनुच्छेद 60 → अनु० 159 → राज्यपाल की शपथ

↳ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

अनुच्छेद 160 : कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन।

अनुच्छेद 161 : क्षमादान की शक्ति।

अनुच्छेद 162 : राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।

SC → गवर्नर, केन्द्र सरकार के अधीन कोई पद नहीं है।

राज्यपाल का वेतन और भत्ता संसद के अनुसार तय होता है।



- 1979 में भारत के PM के रूप में मीरारजी देसाई का स्थान लिया - चौधरी चरण सिंह ने।

(1978-80) - शीलिंगा प्लान

- पद से इस्तीफा देने वाले पहले PM - मीरारजी देसाई।
- किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला - सिरिमावी भंडारनाइके 1975 - श्रीलंका
- कौन केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने बिना भारत का PM बन गया - HD देवेगौड़ा
- किस PM में 13 दिनों का कार्यकाल पूरा किया - अटल बिहारी वाजपेयी
- PM के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल - जवाहर लाल नेहरू
16 साल 286 दिन
- दिल्ली की मंत्रिपरिषद में केवल 10% सदस्य ही मंत्री रह सकते हैं।
↳ 69 वां संविधान संशोधन

स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री :

प्रधानमंत्री	→	जवाहर लाल नेहरू (+ विदेश मंत्री) (राष्ट्रमंडल)
कानून मंत्री	→	BR अम्बेडकर
गृह मंत्री	→	सरदार पटेल (सूचना एवं प्रसारण मंत्री)
खाद्य एवं कृषि	→	राजेन्द्र प्रसाद
शिक्षा मंत्री	→	मौ. अबुल कलाम आजाद
रेलवे मंत्री	→	ऑन मथाई
वित्त मंत्री	→	R.K. घणमुगम शेट्टी
श्रम मंत्री	→	जगजीवन राम
रक्षा मंत्री	→	सरदार बलदेव सिंह
स्वास्थ्य मंत्री	→	राजकुमारी अमृतकौर (सकमात्र महिला मंत्री)